

प्रपत्र DA 1

बैंक जमा (बैंक डिपॉजिट्स) के संबंध में, बैंकिंग विनियामन अधिनियम, 1949 के अनुच्छेद 45-ZA तथा बैंकिंग कम्पनी (नामांकन) नियम 1985, के नियम 2 (1) के अन्तर्गत नामांकन

मैं/हम

*नाम:.....

पता:

निम्नलिखित व्यक्ति को मेरे/हमारे/नाबालिग की मृत्यु होने की घटना में, जमा राशि नामित करते हैं, जिसके विवरण निम्नलिखित दिये गये हैं, द्वारा वापस किया जा सकता है

(शाखा/कार्यालय का नाम तथा पता, जिसमें धनराशि जमा है)

जमा धनराशि (डिपॉजिट)

प्रकृति की

विशेषता सूचक ख्या.....

अतिरिक्त विवरण, यदि कोई हो.....

नामित व्यक्ति.....

नाम:.....

पता:.....

जमाकर्ता के साथ संबंध, यदि कोई हो तो.....

उम्र यदि नामित व्यक्ति नाबालिग है, जन्म तिथि

चूंकि इस तिथि को नामित व्यक्ति नाबालिग है, मैं/हम श्री/श्रीमती/कुमारी** को नियुक्त करते हैं

नाम

पता आयु

नामित व्यक्ति के नाबालिग रहने के लिए दौरान मेरे/हमारे/नाबालिग व्यक्ति की मृत्यु होने की घटना में, नामित व्यक्ति की ओर से, जमा की गई धनराशि को प्राप्त करने के लिए

तिथि स्थान

हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान***
	जमाकर्ता	जमाकर्ता	जमाकर्ता

प्रथम साक्ष्य के हस्ताक्षर **** द्वितीय साक्ष्य के हस्ताक्षर ****

नाम नाम

पता पता

*नामांकन सुविधा, व्यक्तिगत खाते के साथ ही, संयुक्त जमा खातों, 'दोनों में से कोई भी अथवा उत्तरजीवी' अधिदेश के साथ, के लिए भी उपलब्ध है।

** यदि नामित व्यक्ति नाबालिग नहीं है तो काट दें।

*** जहां नाबालिग व्यक्ति के नाम पर धनराशि जमा की जा रही है, नामांकन का भिन्नता (वैरियेशन ऑफ नॉमिनेशन) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए जो नाबालिग व्यक्ति की ओर से कार्यवाही करने के लिए अधिकार प्राप्त हो।

**** दो साक्ष्यों से साक्ष्यांकन की आवश्यकता है, केवल अंगूठे के निशान के लिए। हस्ताक्षर के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है।

अभिस्वीकृति पर्वी

हम श्री/ श्रीमती / सुश्री से 'नामांकन' प्रपत्र DA1 की प्राप्ति की स्वीकृति करते हैं खाता संख्या..... से सम्बन्धित

तिथि

For Kotak Mahindra Bank